



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238263
CG-DL-E-22082022-238263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3728]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944

No. 3728]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 3902(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नामलाई जिले में एनएच-234 (नया एनएच-38) (मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड) के किमी 165.450 से 169.790 तक वेट्टावलम टाउन के लिए बाईपास निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु का.आ. 1227(अ) दिनांक 21.03.2022 उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में,-

(क) "राजस्व मंडल अधिकारी, तिरुवन्नामलाई" शब्दों के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, (एलए) एनएचएआई, तिरुवन्नामलाई" शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे

भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पदनाम में परिवर्तन

[फा. सं. RO/CHENNAI/MoRTH/12014/06/AP/2021-22/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.O. 3902(E). —In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule in S.O 1227(E) dated 21.03.2022 for Land acquisition for construction of bypass to Vettavalam Town branching at Km 165.450 and ends at Km 169.790 of NH-234 (New NH-38)(Mangalore-Villupuram Road)in district of Tiruvannamalai in the state of Tamil Nadu.

In the preamble to the said Notification,-

(a) for the words “Revenue Divisional Officer, Tiruvannamalai,” the words, brackets and letters “Special District Revenue Officer, (LA) NHAI, Tiruvannamalai” shall be substituted;

Change in designation of Competent Authority for Land Acquisition

[F. No. RO/CHENNAI/MoRTH/12014/06/AP/2021-22/Corr]

RAJESH GUPTA, Director